प्रपत्र 2

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय
राँची

पत्रांक 2782 दिनांक 16.03.19

सेवा में,

प्रबंधक
विकास विद्यालय
नेवरी, राँची-835217

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 29-04-2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं विकास विद्यालय, नेवरी, राँची-835217 को शैक्षणिक सत्र 2019 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों का पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता का संधारित करेगा।

Manager
VIKAS VIDYALAYA
SCHOOL CAMPUS
NEORI, RANCHI-835217

P. S. Kalra
Principal
Vikas Vidyalaya
Neori Vikas
Ranchi-835217

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा

   i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा,

   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा;

   iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताऐं के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं है पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित कर लेंगे।

   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है :-

   i. विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल
   ii. कुल निर्मित क्षेत्र;
   iii. क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्र;
   iv. कक्षों की संख्या;
   v. प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडारगार के लिए कक्ष;
   vi. बालक तथा बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ;
   vii. पेयजल की सुविधा;
   viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
   ix. बाधारहित पहुँच;
   x. अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालयों की उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

P.S. Kalra
Principal
Vikas Vidyalaya
Naori Vikas
Ranchi-835217

Manager
VIKAS VIDYALAYA
SCHOOL CAMPUS
NEORI, RANCHI-835217

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं औद्योगिक का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाएगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1850 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाइटी द्वारा व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक Ran/Rct./211/2019 है। कृपा इसे नोट कर लें और इसे कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

16/?/19

- - - -

P.S. Kalra
Principal
Vikas Vidyalaya
Neori Vikas
Ranchi-835217

Manager
VIKAS VIDYALAYA
SCHOOL CAMPUS
NEORI, RANCHI-835217